न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–77/2020

कलमा बेगम एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

तवरेज आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
23.08.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–03, 05 एवं 06 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 24.11.2022 के सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–03, 05 एवं 06 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 24.11.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण को दिनांक 27.07.2022 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया है। प्रतिवादी पूर्व में दिनांक 03.03.2022 को प्रतिवादी सं0–02 मु0 शहनाज खातुन के द्वारा दाखिल बयान तहरीरी को ही अपना बयान तहरीरी मानने हेतु आवेदन दाखिल किये है। प्रतिवादीगण को बयान तहरीरी करने से वंचित किये गये आदेश दिनांक 27.07.2022 को न्यायहित में वापस लेते हुये प्रतिवादी सं0–02 की बयान तहरीरी को मानने हेतु दाखिल आवेदन को स्वीकार करना आवश्यक है। यदि प्रवितादीगण के द्वारा दाखिल आवेदन को स्वीकार करते हुये वंचित किये गये आदेश दिनांक 27.07.2022 को वापस नही लिया जाता है तो प्रतिवादीगणों को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि दिनांक 27.07.2022 के आदेश को वापस लेने की कृपा करें। इसके लिए प्रतिवादीगण श्रीमान् के सदा आभारी रहेगें। वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादीगण को बयान तहरीरी दाखिल करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया परंतु पर्याप्त समय देने के बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा जानबुझकर समय पर बयान तहरीरी दाखिल नही किया गया। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–03, 05 एवं 06 दिनांक 03.11.2020 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–77/2020</u>

कलमा बेगम एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

तवरेज आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 23.08.2023	उपस्थित हुये तथा दिनांक 27.07.2022 को प्रतिवादी सं0–03, 05 एवं 06 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं0–03, 05 एवं 06 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं0–03, 05 एवं 06 की ओर से दिनांक 24.11.2022 को प्रतिवादी सं0–02 के द्वारा दाखिल बयान तहरीरी को ही अपना बयान तहरीरी मानने हेतु विलंभ से आवेदन दिया गया है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–03, 05 एवं 06 का आवेदन मो0–2000/– (दो हजार) रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दिनांक 27.07.2022 के आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादी सं0–03, 05 एवं 06 की ओर से दाखिल आवेदन को स्वीकार करते हुये प्रतिवादी सं0–02 द्वारा दाखिल बयान तहरीरी को ही प्रतिवादी सं0–03, 05 एवं 06 का बयान तहरीरी माना जाता है। आगामी दिनांक 25.09.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	